रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2013] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2017/आषाढ़ 29, 1939
No. 2013] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2017/ASADHA 29, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2017

का.आ. 2271(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम संदर्भित किया गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल 2002 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 220.000 कि.मी. से 580.00 कि.मी. (चित्तौड़गढ़ से कोटा से बाराँ से राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन), राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 0.00 कि.मी. से 30.00 कि.मी. (मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा शिवपुरी), मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के 0.00 से 80.00 कि.मी. (शिवपुरी से मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा) और उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के 80.00 कि.मी. से 256.00 कि.मी. (मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा से शिवपुरी से भोगनीपुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है,

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 02 (अ), तारीख 19 दिसम्बर, 2014, सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015 और सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 8 जून 2016, सा.का.नि. 1114 (अ) तारीख 02 दिसम्बर 2016 और सा.का.नि. 248 (अ), तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा संशोधन किए गए हैं,

और यतः, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार की अधिसूचना संख्य सा.का.नि. 1542 (3), तारीख 06. 07. 2011 द्वारा रियायतग्राही मै0 झांसी–बाराँ पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 76ए माल रोड़, महू–453441 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओ.एम.टी.) आधार पर राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 76 के 509. 00 कि.मी. से 580ण्00 कि.मी. तक 0. 00 कि.मी. से 30. 00 कि.मी. तक, 22 कि.मी. लम्बाई का शिवपुरी बाइपास, रा0रा0–76 के 30ण्00 कि.मी. से शुरू होकर रा0रा0–25 के 15. 00 कि.मी. पर मिलते हुए, रा0रा0–25 के 15. 00 कि.मी. से 93. 30 कि.मी. तक (नया चैनेज 492. 322 कि.मी. से रा0रा0–76 के 613. 087 कि.मी. तक) और रा0रा0–25 के 15. 00 कि.मी. से 93.300 कि.मी. तक (शिवपुरी बाइपास की 22 कि.मी. लम्बाई जिसकी लागत लगभग 150 करोड़ रुपये है, सहित कुल लम्बाई 196ण्065 कि.मी. के यांत्रिक वाहनों द्वारा उपयोग के लिए शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है।

और यतः, 6 वर्षों की ओ.एम.टी. रियायत अवधि 25.08.2017 को पूरी हो जाएगी और परिणामस्वरूप ओ.एम.टी. रियायत करार के समापन पर खण्ड प्राधिकरण को वापस हस्तांतरित किया जाएगा।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 1542 (अ), दिनांक 06.07.2011 का अधिक्रमण करते हुए सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण में पहले कर ली गई हैं अथवा करने से लोप करा दी गई है, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में नया रा. रा.–27 के डियाजन चैनेज 1184.322 कि.मी. से 1380ण्38 कि.मी. तक बाराँ–शिवपुरी–झांसी सेक्शन (जिसका मध्य प्रदेश राज्य में पुराने रा.रा.–76 पर वर्तमान चैनेज 492.322 कि.मी. से 613.087 कि.मी. तक और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पुराने रा.रा.–25 पर 15.00 कि.मी. से 93.300 कि.मी. तक है) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के चार लेन के उपयोग क लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क की कुल लंबाई 196ण्065 कि.मी. (जिसमें सड़क की 170.631 कि.मी. निवल लंबाई और संरचनाएं 2.7165 कि.मी. (जितनी लंबाई 60 मी0 से अधिक है) और संचरना की समकक्ष लंबाई 270.165 कि.मी. शामिल है और चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर" संदर्भित किया गया है) और 10 करोड़ अथवा अधिक की लागत के बाइपासों के लिए बाइपासों की कुल लंबाई 22.217 कि.मी. (रा.रा.–27 पर 1282.37 कि.मी. से 1305.087 कि.मी. तक) के उपयोग के लिए नीचे सारिणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:–

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007.08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0. 05
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1 नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	प्रभावित सेक्शन	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
बाराँ से राजस्थान में मुंदियार गांव के पास नये रारा–27 के 1217.725 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज पुराने रारा–76 के 525ण्725 कि.मी. पर)	नये रारा–27 के 1184ण्322 कि.मी. से 1251ण्814 कि.मी. तक	66ण्942 (10 करोड़ से अधिक की लागत वाले बाइपास और 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचानाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100:
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में रामनगर गांव के पास नये रारा–27 के 1280ण्370 कि.मी.	नये रारा–27 के 1251ण्814 कि.मी. से	29ण्976	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित

पर (विद्यमान चैनेज पुराने रारा–76 के 589ण्370 कि.मी.) पर	1305ण्087 कि.मी.तक	(10 करोड़ से अधिक की लागत वाले बाइपास और 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचानाओं को छोड़कर)	आधार दरों का 100:
जिला झांसी उत्तर प्रदेश में रक्षा गांव के पास नये रारा–27 के 1374ण्650 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज पुराने रारा–25 के 84ण्650 कि.मी.) पर	नये रारा–27 के 1305ण्087 कि.मी. से 1380ण्387 कि.मी. तक	73ण्713 (10 करोड़ से अधिक की लागत वाले वाइपास की लंबाई और 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचानाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100:

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लंबाई हेतु ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर की डेढ़ गुना की दर पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	डिजाइन चैनेज			बाइपास की लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है।	दर जिस पर शुल्क संदेय है
	बाइपास का नाम	निम्नलिखित से शुरू होकर	निम्नलिखित पर मिलते हुए		
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में रामनगर गांव के पास नये रारा–27 के 1280ण्370 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज पुराने रारा–76 के 589ण्370 कि.मी.) पर	शिवपुरी बाइपास	1282ण्37	1305ण्087	22ण्717 (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली संरचानाओं को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150:

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है, के के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लंबाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजायन चैनेज)	सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (कि0मी0 में)	सड़क की समकक्ष लंबाई (कि0मी0 में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
जिला बाराँ राजस्थान में मुंदियार गांव के पास नये रारा–27 के 1217.725 कि. मी. पर (विद्यमान चैनेज पुराने रारा–76 के 525.725 कि.मी. पर)	0.5499′	5.499	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100:

IndiaCode

जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में रामनगर गांव के पास नये रारा–27 के 1280ण्370 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज पुराने रारा–76 के 589ण्370 कि.मी.) पर	0ण्58''	5ण्800	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100:
जिला झांसी उत्तर प्रदेश में रक्षा गांव के पास नये रारा–27 के 1374.650 कि. मी. पर (विद्यमान चैनेज पुराने रारा–25 के 84ण्650 कि.मी.) पर	1ण्5866'''	15ण्866	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100:

' संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली) का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	निम्नलिखित (कि.मी. पर) चैनेज शुरू होकर	निम्नलिखित (कि.मी. पर) चैनेज समाप्ति पर	संरचना का प्रकार और नाम	कुल लम्बाई (कि.मी. में)
(i)	1203.856	1204.018	बड़ा पुल	0.1621
(ii)	1228.753	1228.854	बड़ा पुल	0.1012
(iii)	1232.755	1232.980	बड़ा पुल	0.2254
(iv)	1248.181	1248.242	बड़ा पुल	0.0612
			संरचना की कुल लम्बाई	0.5499

'' संरचनाओं, (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली) का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	निम्नलिखित (कि.मी. पर) चैनेज शुरू	निम्नलिखित (कि.मी. पर) चैनेज समाप्ति पर	संरचना का प्रकार और नाम	कुल लम्बाई (कि.मी. में)
(i)	1277.001	1277.581	आरओबी	0.580
			संरचना की कुल लम्बाई	0ण्580

''' संरचनाओं, (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली) का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	निम्नलिखित (कि.मी. पर) चैनेज शुरू होकर	निम्नलिखित (कि.मी. पर) चैनेज समाप्ति पर	संरचना का प्रकार और नाम	कुल लम्बाई (कि.मी. में)
(i)	1319.872	1321.216	बड़ा पुल	1.3440
(ii)	1341.284	1341.425	बड़ा पुल	0.1404
(iii)	1351.616	1351.718	बड़ा पुल	0.1022
			संरचना की कुल लम्बाई	1.5866

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2017.18 के लिए मासिक पास की दर 245.00 रुपये (दो सौ पैंतालीस रुपये मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

IndiaCode

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के निर्धारित दर का 50: होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार से लदे हुए ऐसे वाहन के प्रवेश कराने के लिए टोल संग्रहण ऐजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रित वाहन पर लदा हुआ अधिक भार हटा नहीं दिया जाता।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियम में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007.08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 1058.08 करोड़ रुपए (एक हजार अठ्ठावन करोड़ आठ लाख रुपए मात्र) है। 12: की दर पर छूट देने के पश्चात् एकत्रित निवल राजस्व 61.78 करोड़ रुपए है (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार) प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40: कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं भाराराप्रा/13013/सीओ/2017–18/जीसी शिवपुरी (बाराँ–शिवपुरी–झांसी))]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2017

S.O. 2271(E).— Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government entrusted the stretch from km 220.000 to km 580.00 (Chittorgarh to Kota to Baran to Rajasthan/Madhya Pradesh Border Section) of National Highway No. 76 in the State of Rajasthan, from km 0.00 to km 30.00 (Madhya Pradesh/Rajasthan Border Shivpuri) of National Highway No. 76, from km 0.00 to km 80.00 (Shivpuri to Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border) of National Highway No. 25 in the state of Madhya Pradesh and from km 80.00 to km 256.00 (Madhya Pradesh/Uttar

Pradesh Border to Shivpuri to Bhognipur Section) of National Highway No. 25 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 02(E) dated 19th December, 2014, G.S.R. 220 (E) dated 23rd March, 2015, G.S.R. 585 (E) dated 08th June, 2016 G.S.R. 1114 (E) dated 02nd December, 2016 & G.S.R. 248 (E) dated 14th March, 2017 for collection of fee for the use of sections of national highways, permanent bridge, bypasses, tunnels;

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 14 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 1542 (E) dated 06.07.2011 authorized the Concessionaire M/s Jhansi-Baran Pathways Private Limited, having its registered office at 76, Mall Road, MHOW-453441, (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for operation, maintenance & levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of the stretch from km 509.00 to km 580.00, km 0.00 to km 30.00 of NH-76, Shivpuri Bypass of 22 km, length taking off at km 30.00 of NH-76 and merging at km 15.00 of NH-25, km 15.00 to km 90.30 of NH-25 (New Chainage km 492.322 to km 613.087 of NH-76 and km 15.00 to km 90.300 of NH-25) (Total length being 196.065 km including Shivpuri Bypass of 22 km length approximate cost of which is Rs. 150 Crores) in the State of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis.

And whereas, the OMT Concession Period of six years would be completed on 25.08.2017 and consequent upon completion of OMT Concession Agreement, the stretch would be transferred back to the Authority;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification number S.O. 1542 (E) dated 06.07.2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the Four lane Baran-Shivpuri-Jhansi Section from design Chainage km 1184.322 to km 1380.387 on new NH-27 (having Existing Chainage km 492.322 to km 613.087 on old NH-76 in the state of Madhya Pradesh & km 15.00 to km 90.300 on old NH-25 in the state of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh) in the State of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "said section'), specified in column (2) of the Table 1 for Total

Road Length of 196.065 km [including 170.631 km Net Road and 2.7165 km of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 27.165 km] for use of the four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) at the rate specified in column (2) of the Table 1 below (hereinafter referred to as "base rate") and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 22.717 km (from km 1282.37 to km 1305.087 on National Highway No. 27) for bypasses costing Rupees Ten Crore or more on the said section and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Influence Section	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 1217.725 of new NH-27 (Existing change at km 525.725 of old NH-76)	Km 1184.322 to km 1251.814 of new NH 27	66.942 (Excluding length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores and	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

near village Mundiyar in Dist. Baran, Rajasthan		structures >60m length)	
At km 1280.370 of new NH-27 (Existing change at km 589.370 of old NH-76) near village Ramnagar in Dist. Shivpuri, Madhya Pradesh	Km 1251.814 to km 1305.087 of new NH 27	29.976 (Excluding length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores and structures >60m length)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 1374.650 of new NH-27 (Existing change at km 84.650 of old NH-25) near village Raksha in Dist. Jhansi, Uttar Pradesh,	Km 1305.087 to km 1380.387 of new NH 27	73.713 (Excluding length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores and structures >60m length)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Design Chainages			Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
	Name of Bypass	Taking off at	Merging at		
At km 1280.370 of new NH-27 (Existing change at km 589.370 of old NH-76) near village Ramnagar in Dist. Shivpuri, Madhya Pradesh	Shivpuri Bypass	1282.37	1305.087	22.717 (Excluding length of structures >60m length)	150% of the base rates mentioned in Table-1 above

IndiaCode

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 1217.725 of new NH-27 (Existing change at km 525.725 of old NH-76) near village Mundiyar in Dist. Baran, Rajasthan	0.5499*	5.499	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 1280.370 of new NH-27 (Existing change at km 589.370 of old NH-76) near village Ramnagar in Dist. Shivpuri, Madhya Pradesh	0.58**	5.800	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 1374.650 of new NH-27 (Existing change at km 84.650 of old NH-25) near village Raksha in Dist. Jhansi, Uttar Pradesh,	1.5866***	15.866	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

* The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Start Chainage (at km)	End Chainage (at km)	Type and Name of the Structure	Total length (in km)
(i)	1203.856	1204.018	Major Bridge	0.1621
(ii)	1228.753	1228.854	Major Bridge	0.1012
(iii)	1232.755	1232.980	Major Bridge	0.2254
(iv)	1248.181	1248.242	Major Bridge	0.0612
Total length of structure				**0.5499**

** The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Start Chainage (at km)	End Chainage (at km)	Type and Name of the Structure	Total length (in km)
(i)	1277.001	1277.581	ROB	0.580
Total length of structure				**0.580**

*** The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Start Chainage (at km)	End Chainage (at km)	Type and Name of the Structure	Total length (in km)
(i)	1319.872	1321.216	Major Bridge	1.3440
(ii)	1341.284	1341.425	Major Bridge	0.1404
(iii)	1351.616	1351.718	Major Bridge	0.1022
Total length of structure				**1.5866**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 245.00 (Rupees Two Hundred Forty Five only) for the year 2017-18, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The present value of Capital Cost of the Project is Rs. 1058.08 Crore (Rupee One Thousand Fifty Eight crore and Eight lakh only). The net revenue collected after discounting at 12% is Rs. 61.78 Cr. (as on 31.03.2017). The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/2017-18/GC Shivpuri (Baran-Shivpuri-Jhansi)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.07.21 15:24:19 +05'30'